eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 04, Issue 05, May 2025

21वीं सदी में उच्च शिक्षा, समानता और सशक्तिकरण पर नारीवादी दृष्टिकोण

रिचा सेंगर[1] एवं डा0 ज्योती सिंह गौतम[2]

[1]शोधार्थी, राजनीति विज्ञान बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी, उत्तर प्रदेश

एसोसिएट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान, वी0म0ल0 राजकीय महिला स्ना0 महाविद्यालय, झांसी

Received: 15 May 2025 Accepted & Reviewed: 25 May 2025, Published: 31 May 2025

Abstract

21वीं सदी में उच्च शिक्षा में समानता और सशक्तिकरण का प्रश्न वैश्विक स्तर पर शिक्षा और समाज में महत्वपूर्ण विमर्श का हिस्सा बन चुका है। इस शोध पत्र में नारीवादी दृष्टिकोण से उच्च शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी, उन्हें प्राप्त अवसरों, और उनके सामने आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण किया गया है। नारीवादी सिद्धांत, जैसे कि उदार नारीवाद, समाजवादी नारीवाद और उत्तर–औपनिवेशिक नारीवाद, ने शिक्षा में लैंगिक असमानताओं को उजागर किया है और उनके समाधान के लिए वैकल्पिक नीतियों और रणनीतियों की आवश्यकता पर बल दिया है। 21वीं सदी में तकनीकी विकास, वैश्वीकरण और डिजिटल शिक्षा जैसे परिवर्तनों ने महिलाओं को उच्च शिक्षा में नई संभावनाएँ प्रदान की हैं, परंतु सामाजिक, सांस्कृतिक और संस्थागत स्तर पर गहरे निहित पूर्वाग्रह और बाधाएँ अब भी मौजूद हैं। इस शोध में भारत सहित विभिन्न देशों के संदर्भों को मिलाकर विश्लेषण किया गया है कि किस प्रकार उच्च शिक्षा संस्थानों में नीतिगत सुधार, पाठ्यक्रम में लैंगिक समावेशिता, और नेतृत्व विकास कार्यक्रम महिलाओं को सशक्त बनाने में सहायक हो सकते हैं। इस अध्ययन का निष्कर्ष है कि नारीवादी दृष्टिकोण केवल असमानताओं की पहचान करने तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा में समानता और सशक्तिकरण की दिशा में ठोस और क्रांतिकारी कदम उठाने की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

कीवर्ड्स– नारीवादी दृष्टिकोण, उच्च शिक्षा, समानता, सशक्तिकरण, लैंगिक समानता, संस्थागत चुनौतियाँ, शैक्षिक नीतियाँ

Introduction

21वीं सदी ने शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन और विकास की संभावनाएँ प्रस्तुत की हैं। उच्च शिक्षा अब केवल ज्ञान के अर्जन का माध्यम नहीं रही, बल्कि यह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण साधन बन चुकी है। इसी संदर्भ में महिलाओं की भूमिका और स्थिति पर विचार करना अनिवार्य हो जाता है। यद्यपि पिछली शताब्दियों में महिलाओं की शिक्षा को लेकर कई बाधाएँ और सामाजिक पूर्वाग्रह विद्यमान रहे हैं, परंतु 21वीं सदी ने लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में कई नए मार्ग प्रशस्त किए हैं। नारीवादी दृष्टिकोण से उच्च शिक्षा में महिलाओं की भूमिका का मूल्यांकन करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह दृष्टिकोण शिक्षा में न केवल महिलाओं की भागीदारी और उपस्थिति पर बल देता है, बल्कि उनके अनुभवों, चुनौतियों और उपलब्धियों को भी केंद्र में लाता है। नारीवादी विमर्श यह स्वीकार करता है कि शिक्षा केवल पाठ्यक्रम या डिग्री तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह एक ऐसा मंच है जहाँ सामाजिक और लैंगिक संरचनाएँ पुनः निर्मित और पुनः परिभाषित होती हैं। इस शोध पत्र में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि 21वीं सदी में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 04, Issue 05, May 2025

क्या है, उन्हें किन अवसरों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, और नारीवादी सिद्धांतों के आलोक में समानता और सशक्तिकरण की दिशा में कौन–कौन से कदम उठाए जा सकते हैं। इसमें भारत सहित वैश्विक परिप्रेक्ष्य को भी शामिल किया जाएगा, जिससे यह समझा जा सके कि नारीवादी दृष्टिकोण शिक्षा में समानता और सशक्तिकरण के लिए कैसे एक प्रभावशाली साधन बन सकता है।

परिकल्पना–

1– 21वीं सदी में उच्च शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि हुई है, लेकिन संस्थागत और संरचनात्मक असमानताओं के कारण लैंगिक समानता और सशक्तिकरण का लक्ष्य अभी भी अधूरा है।
2– नारीवादी दृष्टिकोण से उच्च शिक्षा की नीतियों और पाठ्यक्रमों में सुधार करके लैंगिक न्याय और महिलाओं का सशक्तिकरण संभव है।
3– डिजिटल तकनीक और नई शिक्षा पद्धतियाँ महिलाओं की शिक्षा में नई संभावनाएँ प्रस्तुत कर सकती हैं, यदि इन्हें लैंगिक दृष्टिकोण से सुलभ बनाया जाए।

शोध प्राविधि–

शोध की प्रकृति – यह शोध–कार्य वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक है। इसमें स्त्री शिक्षा की वर्तमान स्थिति, चुनौतियाँ, नीतियाँ और सुधार के सुझावों का अध्ययन किया गया है।
डेटा संकलन के स्रोत –
प्राथमिक स्रोत – सरकारी रिपोर्टें, उच्च शिक्षा संस्थानों की वार्षिक रिपोर्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020।
द्वितीयक स्रोत – शोध–पत्र, पुस्तकें, जर्नल लेख, अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट्स (जैसे न्छम्ैब्, व्ब्ब्)।
डेटा विश्लेषण विधि – संकलित जानकारी का विषयगत विश्लेषण और समीक्षात्मक तुलनात्मक अध्ययन किया गया।
भाषा और दृष्टिकोण – शोध हिंदी भाषा में और नारीवादी दृष्टिकोण से किया गया है।

इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य यह है कि नारीवादी सिद्धांतों और व्यावहारिक पहलुओं को मिलाकर उच्च शिक्षा में महिलाओं के लिए एक ऐसा वातावरण निर्मित किया जाए जहाँ वे न केवल शैक्षिक रूप से सफल हों, बल्कि नेतृत्व और निर्णय–निर्माण की प्रक्रियाओं में भी उनकी सक्रिय भागीदारी हो।

नारीवादी सिद्धांत और उच्च शिक्षा– नारीवादी सिद्धांत लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण की अवधारणा को समझने और आगे बढ़ाने का एक सशक्त माध्यम है। उच्च शिक्षा में नारीवादी दृष्टिकोण केवल पाठ्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह संस्थागत संरचनाओं, नीतियों, और सामाजिक–सांस्कृतिक संदर्भों को भी प्रश्नांकित करता है। नारीवादी सिद्धांतों की विविध धाराएँकृउदार नारीवाद, समाजवादी नारीवाद, सांस्कृतिक नारीवाद, उत्तर–औपनिवेशिक नारीवाद और समकालीन चौथी लहर नारीवादकृउच्च शिक्षा में महिलाओं की स्थिति को विश्लेषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

उदार नारीवाद लैंगिक समानता के लिए शिक्षा तक समान पहुँच की वकालत करता है। यह मानता है कि यदि महिलाओं को पुरुषों के समान अवसर और संसाधन उपलब्ध कराए जाएँ, तो वे शिक्षा के क्षेत्र में समान रूप से प्रगति कर सकती हैं। उदार नारीवादी दृष्टिकोण उच्च शिक्षा संस्थानों में महिलाओं के प्रवेश, छात्रवृत्तियों, और संसाधनों तक पहुँच बढ़ाने पर बल देता है।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 04, Issue 05, May 2025

समाजवादी नारीवाद यह तर्क देता है कि केवल अवसरों की समानता पर्याप्त नहीं है। शिक्षा प्रणाली में अंतर्निहित पूंजीवादी और पितृसत्तात्मक संरचनाएँ महिलाओं की प्रगति में बाधक बनती हैं। इस दृष्टिकोण से उच्च शिक्षा की नीतियों और संरचनाओं में गहरे बदलाव की आवश्यकता पर बल दिया जाता है, जैसे कि महिला–केंद्रित आर्थिक सहायता, सामूहिक शिक्षा पहल, और कार्य–जीवन संतुलन की नीतियाँ।

सांस्कृतिक नारीवाद शिक्षा में महिलाओं की विशिष्ट सांस्कृतिक और सामाजिक भूमिकाओं की मान्यता की आवश्यकता को रेखांकित करता है। उत्तर–औपनिवेशिक नारीवाद वैश्विक दक्षिण के देशों, विशेषकर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ्रीकी देशों में शिक्षा की चुनौतियों को समझने का प्रयास करता है। यह दृष्टिकोण उन सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कारकों को उजागर करता है जो महिलाओं की शिक्षा में बाधक बनते हैं।

21वीं सदी में चौथी लहर नारीवाद ने डिजिटल प्लेटफार्मों, सोशल मीडिया, और वैश्विक नेटवर्किंग के माध्यम से लैंगिक समानता और सशक्तिकरण के नए द्वार खोले हैं। उच्च शिक्षा में यह दृष्टिकोण डिजिटल शिक्षा, ऑनलाइन लर्निंग, और ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस तक महिलाओं की पहुँच को महत्वपूर्ण मानता है। इसके अतिरिक्त, चौथी लहर नारीवाद यौन उत्पीड़न और भेदभाव के खिलाफ सख्त नीतियाँ बनाने की माँग करता है।

नारीवादी सिद्धांतों का प्रभाव अब शिक्षा नीति निर्माण तक पहुँच चुका है। कई देशों में लैंगिक समानता की गारंटी देने वाले कानून और पहलें, जैसे भारत में साक्षरता मिशन, बालिका शिक्षा अभियान, और वैश्विक स्तर पर UNESCO की लैंगिक समानता पहल, इसी विमर्श का हिस्सा हैं। Athena SWAN जैसे कार्यक्रम उच्च शिक्षा में लैंगिक असमानताओं को दूर करने के लिए प्रभावशाली पहलें हैं। नारीवादी दृष्टिकोण शिक्षा में केवल महिलाओं की उपस्थिति को नहीं बल्कि उनकी आवाज़, अनुभव, और नेतृत्व को भी महत्वपूर्ण मानता है। यह उच्च शिक्षा में पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धतियाँ, शोध के दृष्टिकोण और नेतृत्व पदों में महिलाओं की भूमिका पर पुनर्विचार करने का आह्वान करता है।

उच्च शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी– उच्च शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी किसी भी समाज की सामाजिक प्रगति और लैंगिक समानता की दिशा में उठाए गए कदमों का महत्वपूर्ण संकेतक होती है। 21वीं सदी में वैश्विक स्तर पर महिलाओं की शिक्षा तक पहुँच में काफी सुधार हुआ है, परंतु अभी भी कई क्षेत्रों में असमानताएँ और चुनौतियाँ विद्यमान हैं। इस खंड में हम उच्च शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी का विश्लेषण वैश्विक और भारतीय परिप्रेक्ष्य में करेंगे।

वैश्विक परिदृश्य में महिलाओं की भागीदारी– संयुक्त राष्ट्र और UNESCO की रिपोर्टों के अनुसार, पिछले कुछ दशकों में महिलाओं की उच्च शिक्षा में नामांकन दर में काफी वृद्धि हुई है। कई विकसित देशों जैसे कि अमेरिका, कनाडा, और यूरोप के देशों में महिलाएँ अब पुरुषों की तुलना में अधिक संख्या में उच्च शिक्षा में नामांकित हो रही हैं। हालांकि STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) क्षेत्रों में उनकी भागीदारी अपेक्षाकृत कम बनी हुई है। इसके साथ ही, विकासशील देशों में, विशेषकर अफ्रीका और दक्षिण एशिया में, बालिका शिक्षा और उच्च शिक्षा तक पहुँच में कई सामाजिक और आर्थिक बाधाएँ हैं, जिनमें गरीबी, सामाजिक पूर्वाग्रह, बाल विवाह और सुरक्षा से जुड़ी समस्याएँ प्रमुख हैं।

भारत में महिलाओं की उच्च शिक्षा में भागीदारी– भारत में 21वीं सदी में उच्च शिक्षा में महिलाओं की

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 04, Issue 05, May 2025

भागीदारी में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है। अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण (AISHE) की रिपोर्टों के अनुसार, कुल नामांकन में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 49: तक पहुँच गई है। शिक्षा के विविध क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि देखी जा रही है, विशेषकर कला, मानविकी, सामाजिक विज्ञान, और चिकित्सा में। हालांकि, STEM क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी अभी भी सीमित है। IITs, IIMs और अन्य तकनीकी संस्थानों में महिलाओं की नामांकन दर अपेक्षाकृत कम बनी हुई है। इसके पीछे कारण सामाजिक पूर्वाग्रह, पारिवारिक दबाव, और STEM क्षेत्रों में लैंगिक रूढ़ियाँ मानी जाती हैं। महिलाओं की उच्च शिक्षा में भागीदारी की राह में अनेक बाधाएँ हैं–

सामाजिक और सांस्कृतिक पूर्वाग्रह अर्थात परंपरागत विचारधाराएँ और रूढ़िवादी सोच महिलाओं की शिक्षा को सीमित करती हैं।

आर्थिक असमानता अर्थात गरीबी और संसाधनों की कमी से कई महिलाएँ उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पातीं।

भौतिक और डिजिटल अवसंरचना की कमी अर्थात ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में उच्च शिक्षा संस्थानों तक पहुँच और डिजिटल कनेक्टिविटी की कमी भी एक बाधा है।

यौन उत्पीड़न और असुरक्षा अर्थात उच्च शिक्षा संस्थानों में यौन उत्पीड़न और भेदभाव की घटनाएँ महिलाओं की भागीदारी को प्रभावित करती हैं।

21वीं सदी में कई राष्ट्रीय और वैश्विक पहलों ने महिलाओं की शिक्षा में भागीदारी को बढ़ावा दिया है। भारत में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को शिक्षा में प्राथमिकता दी है। डिजिटल शिक्षा और ओपन यूनिवर्सिटी मॉडल ने महिलाओं को लचीलापन और सुलभता प्रदान की है। प्रवेश में आरक्षण और छात्रवृत्तियाँ भी महिलाओं को उच्च शिक्षा में प्रवेश और बने रहने में सहायता कर रही हैं।

हालांकि, नामांकन दरों में सुधार हुआ है, परंतु उच्च शिक्षा संस्थानों में नेतृत्व और निर्णय–निर्माण की भूमिकाओं में महिलाओं की भागीदारी अब भी सीमित है। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में महिला कुलपति, डीन, और विभागाध्यक्षों की संख्या अपेक्षाकृत कम है। नारीवादी दृष्टिकोण यह इंगित करता है कि केवल उपस्थिति पर्याप्त नहीं है; निर्णय लेने की शक्ति और नेतृत्व में समान भागीदारी सुनिश्चित करना भी आवश्यक है।

संस्थागत चुनौतियाँ और लैंगिक असमानता– 21वीं सदी में महिलाओं की उच्च शिक्षा में भागीदारी बढ़ने के बावजूद, संस्थागत स्तर पर अनेक चुनौतियाँ और लैंगिक असमानताएँ बनी हुई हैं। ये चुनौतियाँ केवल अवसरों की कमी तक सीमित नहीं हैं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था की संरचना, नीतियाँ, पाठ्यक्रम, और सांस्कृतिक संदर्भों में गहराई तक विद्यमान हैं। इस खंड में हम उन प्रमुख संस्थागत चुनौतियों और असमानताओं का विश्लेषण करेंगे जो उच्च शिक्षा में महिलाओं के समावेश और सशक्तिकरण में बाधक बन रही हैं।

अधिकांश उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों और शिक्षण पद्धतियों में लैंगिक दृष्टिकोण का अभाव दिखाई देता है। पाठ्यक्रम प्रायः पितृसत्तात्मक ढाँचे और पुरुष–प्रधान अनुभवों पर आधारित होते हैं, जिससे महिलाओं के अनुभव और दृष्टिकोण हाशिए पर चले जाते हैं। नारीवादी दृष्टिकोण इस स्थिति को बदलकर शिक्षा में लैंगिक समावेशिता लाने पर बल देता है। हालाँकि महिलाओं का कुल नामांकन दर बढ़ा है, फिर भी प्रतिष्ठित और तकनीकी संस्थानों जैसे IITs, IIMs, AIIMS आदि में उनका प्रतिनिधित्व अपेक्षाकृत कम है।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 04, Issue 05, May 2025

प्रवेश की कठिन चयन प्रक्रिया, पारिवारिक और सामाजिक दबाव, और STEM क्षेत्रों में पुरुष–प्रधान माहौल इस असमानता को बढ़ाते हैं।

ग्रामीण और अर्ध–शहरी क्षेत्रों में उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या और उनकी गुणवत्ता अक्सर सीमित होती है। यहाँ लड़कियों को शिक्षा के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे उनकी सुरक्षा और शिक्षा निरंतरता पर असर पड़ता है। छात्रावासों, परिवहन सुविधाओं और डिजिटल कनेक्टिविटी की कमी भी एक बड़ी बाधा है। उच्च शिक्षा संस्थानों में यौन उत्पीड़न की घटनाएँ और लैंगिक भेदभाव गंभीर मुद्दे हैं। यौन उत्पीड़न के मामलों में शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया लंबी और जटिल होती है, और कई बार संस्थागत संस्कृति शिकायतकर्ताओं को हतोत्साहित करती है। यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के बावजूद, इसके प्रभावी क्रियान्वयन में कई कमियाँ हैं।

विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में निर्णय–निर्माण और नेतृत्व की भूमिकाओं में महिलाओं की भागीदारी कम बनी हुई है। कुलपति, निदेशक, डीन और विभागाध्यक्ष जैसे पदों पर महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में बहुत कम है। यह न केवल लैंगिक असमानता को दर्शाता है, बल्कि इससे नीति निर्माण और संस्थागत सुधार में महिलाओं की आवाज़ भी कमजोर होती है। कई उच्च शिक्षा संस्थानों में अब भी पारंपरिक और पितृसत्तात्मक संस्कृति हावी है, जहाँ महिलाओं से अपेक्षा की जाती है कि वे केवल शिक्षा ग्रहण करें, नेतृत्व या निर्णय–निर्माण की प्रक्रिया में भाग न लें। इससे महिलाओं के आत्मविश्वास और महत्वाकांक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

वैश्विक स्तर पर भी अनेक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों और संस्थानों में समान चुनौतियाँ देखी जाती हैं। यद्यपि कुछ देशों ने लैंगिक समानता के लिए कोटा, अनिवार्य प्रशिक्षण, और नीति सुधार लागू किए हैं, परंतु समग्र रूप से संरचनात्मक असमानताएँ अब भी बनी हुई हैं। समाधान की दिशा में संभावनाएँ निम्नवत हैं–

पाठ्यक्रमों में लैंगिक समावेशिता और नारीवादी सिद्धांतों का समावेश
यौन उत्पीड़न के मामलों में त्वरित और पारदर्शी शिकायत प्रक्रिया
महिला नेतृत्व को प्रोत्साहित करने के लिए mentorship और leadership development कार्यक्रम
वित्तीय सहायता और छात्रवृत्तियों के साथ–साथ ग्रामीण और डिजिटल शिक्षा अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण

सशक्तिकरण की रणनीतियाँ– 21वीं सदी में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में लैंगिक समानता और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न रणनीतियों की आवश्यकता है। इन रणनीतियों को नारीवादी दृष्टिकोण के साथ अपनाया जाना चाहिए ताकि महिलाओं को शिक्षा में वास्तविक रूप से सशक्त बनाया जा सकेरू

शिक्षा में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए पाठ्यक्रमों में महिलाओं के अनुभवों, उपलब्धियों, और संघर्षों को सम्मिलित करना आवश्यक है। इससे छात्र–छात्राओं में संवेदनशीलता और समानता की भावना उत्पन्न होगी। डिजिटल तकनीक और STEM क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, छात्रवृत्तियाँ, और प्रोत्साहन योजनाएँ विकसित की जानी चाहिए। ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से सुलभ शिक्षा की सुविधा दी जा सकती है। महिला नेतृत्व को प्रोत्साहित करने के लिए उमदजवतीपच कार्यक्रम, नेतृत्व विकास प्रशिक्षण और निर्णय–निर्माण में उनकी भागीदारी बढ़ाने वाली नीतियाँ बनाई जानी चाहिए। यौन उत्पीड़न और भेदभाव को रोकने के लिए संस्थानों में सख्त

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 04, Issue 05, May 2025

नीतियाँ लागू की जाएँ। शिकायत निवारण समितियों को सशक्त और पारदर्शी बनाया जाए। छात्रावास और परिसर को सुरक्षित और अनुकूल बनाया जाए। वंचित वर्ग की महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता, छात्रवृत्तियाँ, और विशेष योजनाएँ लागू की जानी चाहिए ताकि आर्थिक बाधाएँ दूर हों और उच्च शिक्षा तक पहुँच सुगम हो।

नारीवादी दृष्टिकोण से नीतिगत सुधार– नारीवादी सिद्धांत केवल आलोचना तक सीमित नहीं रहते, बल्कि यह व्यावहारिक नीतिगत सुधारों की भी रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं। 21वीं सदी में उच्च शिक्षा में समानता और सशक्तिकरण के लिए नारीवादी दृष्टिकोण से निम्नलिखित सुधार सुझाए जा सकते हैं–

लैंगिक न्याय सुनिश्चित करने वाली शिक्षा नीति– नई शिक्षा नीति में स्पष्ट रूप से लैंगिक समानता के लक्ष्य निर्धारित किए जाएँ। महिलाओं की शिक्षा को केवल समान अवसर देने तक सीमित न रखकर, उसे सशक्तिकरण के औजार के रूप में प्रस्तुत किया जाए।

लिंग–संवेदी शिक्षक प्रशिक्षण– शिक्षकों को लैंगिक संवेदनशीलता और नारीवादी दृष्टिकोण से प्रशिक्षित किया जाए ताकि कक्षा में लैंगिक भेदभाव को रोका जा सके।

नेतृत्व में कोटा और प्रोत्साहन– शैक्षणिक संस्थानों में निर्णय–निर्माण पदों पर महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के लिए कोटा प्रणाली और विशेष प्रोत्साहन योजनाएँ लागू की जाएँ।

STEM क्षेत्रों में लैंगिक समानता– STEM में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए स्कॉलरशिप, उमदजवतीपच, और करियर काउंसलिंग की व्यवस्था हो। महिला वैज्ञानिकों और तकनीकी विशेषज्ञों को रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया जाए।

सुरक्षित और सशक्त परिसर– POSH कानून का प्रभावी क्रियान्वयन, त्वरित शिकायत निवारण तंत्र, और छात्रावास एवं परिसरों में लैंगिक दृष्टिकोण से अनुकूल अवसंरचना का विकास किया जाए।

अनुशंसाएँ (Recommendations)–

1. राष्ट्रीय और राज्य स्तर की शिक्षा नीतियों में लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण को स्पष्ट रूप से प्रमुख उद्देश्य बनाया जाए।
2. शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में महिलाओं की उपलब्धियों, संघर्षों और दृष्टिकोण को शामिल किया जाए जिससे छात्र–छात्राओं में लैंगिक न्याय और समानता की समझ विकसित हो।
3. STEM क्षेत्रों में छात्राओं के लिए छात्रवृत्तियाँ, प्रोत्साहन योजनाएँ, मेंटरशिप कार्यक्रम और करियर काउंसलिंग की व्यवस्था की जाए ताकि तकनीकी शिक्षा में लैंगिक असमानता कम हो।
4. ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफ़ॉर्म और ई–लर्निंग सामग्री को लैंगिक दृष्टिकोण से समावेशी बनाया जाए और महिलाओं को डिजिटल साक्षरता और तकनीकी साधनों तक समान पहुँच प्रदान की जाए।
5. शैक्षणिक संस्थानों में यौन उत्पीड़न निरोधक कानून (POSH) का सख्त क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए, शिकायत निवारण समितियों को सशक्त और पारदर्शी बनाया जाए, और परिसर को सुरक्षित बनाया जाए।
6. महिलाओं को शैक्षणिक और प्रशासनिक नेतृत्व के लिए तैयार करने हेतु विशेष मेंटरशिप, नेतृत्व विकास कार्यशालाएँ और प्रोत्साहन योजनाएँ लागू की जाएँ।
7. वंचित वर्ग की महिलाओं के लिए छात्रवृत्तियाँ, फीस में छूट, और अन्य वित्तीय सहायता योजनाएँ लागू

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 04, Issue 05, May 2025

की जाएँ ताकि वे उच्च शिक्षा तक पहुँच बना सकें।

8. शिक्षकों को लैंगिक संवेदनशीलता, नारीवादी दृष्टिकोण और भेदभाव–रहित शिक्षण पद्धतियों पर प्रशिक्षण दिया जाए ताकि कक्षा का वातावरण समानता आधारित हो।
9. ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में महिला शिक्षा संस्थानों की स्थापना और गुणवत्ता सुधार पर विशेष ध्यान दिया जाए ताकि महिलाओं को घर के निकट उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिले।
10. सामाजिक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाए जाएँ जिनमें लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के महत्व पर जोर दिया जाए। साथ ही, माता–पिता और समुदाय की भागीदारी को बढ़ाया जाए।

निष्कर्ष– 21वीं सदी में उच्च शिक्षा का परिदृश्य लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के लिए कई संभावनाओं से भरा है। नारीवादी दृष्टिकोण हमें यह समझने में सहायता करता है कि केवल अवसर प्रदान करना पर्याप्त नहीं, बल्कि संरचनात्मक असमानताओं को समाप्त करना और महिलाओं को नेतृत्व और निर्णय–निर्माण की प्रक्रिया में समान रूप से शामिल करना आवश्यक है। डिजिटल युग ने शिक्षा को सुलभ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, किंतु तकनीकी और सामाजिक बाधाएँ अब भी बनी हुई हैं। यदि पाठ्यक्रम, नीतियाँ, और संस्थागत संरचनाओं में लैंगिक संवेदनशीलता और न्याय सुनिश्चित किया जाए, तो उच्च शिक्षा वास्तव में महिलाओं के लिए सशक्तिकरण का माध्यम बन सकती है।

सन्दर्भ सूची–

1. नारीवादी सिद्धांत और शिक्षा, उषा राव, 2018।
2. भारतीय शिक्षा में लैंगिक समानता की स्थिति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020।
3- UNESCO. (2022). Global Education Monitoring Report.
4- Higher Education Statistics, Ministry of Education, Government of India (AISHE Report 2023)।
5- Nussbaum, Martha. (2000). Women and Human Development: The Capabilities Approach.
6- hooks, bell. (1994). Teaching to Transgress: Education as the Practice of Freedom.
7. बिस्वास, मीना. (2019). शिक्षा में नारीवादी दृष्टिकोण एक विश्लेषण।
8. संयुक्त राष्ट्र महिला शिक्षा रिपोर्ट (UN Women Education Report, 2022)।
9. POSH कानून और यौन उत्पीड़न के मामले, भारत सरकार।